

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

WP (C) सं. 1811/2019

गोविंद वेलफेयर ट्रस्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत अपने अध्यक्ष ब्रह्मा दत्ता शर्मा के माध्यम से  
पंजीकृत एक ट्रस्ट। ... याचिकाकर्ता

....

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. उपायुक्त, सरायकेला खरसावां।
3. अतिरिक्त कलेक्टर, सरायकेला खरसावां।
4. अनुमंडल अधिकारी, चंडिला।
5. अंचल अधिकारी, चंडिला।
6. रामचंद्र यादव .....उत्तरदाता गण

-----

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

-----

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अमर कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी सं. 1-5 के लिए: श्री देवेश कृष्ण, एससी (खान)-III

-----

05/07. 01. 2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

श्री अमर कुमार सिन्हा, याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका की पेंडेंसी के दौरान, उप-विभागीय अधिकारी, चंडील-प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा जारी 13 मार्च, 2019 को लगाए गए आदेश को वापस ले लिया गया है और इस तरह वर्तमान रिट याचिका अर्थहीन हो गई है।

उक्त सबमिशन के मद्देनजर, रिट याचिका को उक्त सबमिशन के मद्देनजर, रिट याचिका को अर्थहीन के रूप में निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)

रोहित